


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082021-228900
CG-DL-E-11082021-228900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]
No. 452]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2021/श्रावण 20, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2021/SRAVANA 20, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 552(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में निरीक्षण (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के पर्यवेक्षण में आबकारी और इसकी काडर इकाइयाँ निदेशालय, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004, संभारतंत्र निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2004, राजस्व आसूचना निदेशालय और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम 2004, प्रकाशन निदेशालय (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद), भर्ती नियम 1988, डाटा प्रबंधन निदेशालय, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम 2004 और केंद्रीय राजस्व अधीनस्थ रासायनिक सेवा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004 का अधिकांत करते हुए, जहां तक उनका संबंध सभी निदेशालय के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड- II के पद से संबंधित हैं उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के नियंत्रण के अधीन निदेशालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, में आशुलिपिक ग्रेड-I (समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड निदेशालय, आशुलिपिक ग्रेड-I (समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष उपबंध: (1) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित निम्नलिखित निदेशालयों के लिए सभी समूह-ख और समूह-ग पदों के लिए काडर नियंत्रण प्राधिकरण होगा अर्थात्: -

(i) प्रदर्शन प्रबंधन महानिदेशालय

(ii) राजस्व आसूचना महानिदेशालय

(iii) माल और सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

(iv) संभारतंत्र महानिदेशालय

(v) करदाता सेवा महानिदेशालय

(vi) साधारण प्रणाली और डाटा प्रबंधन महानिदेशालय

(vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला

(viii) सतर्कता महानिदेशालय

(ix) सुरक्षा महानिदेशालय

(x) निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

(xi) लेखा महानिदेशालय

(xii) विधि कार्य महानिदेशालय

(xiii) साधारण मानव संसाधन विकास निदेशालय

(xiv) मुख्य आयुक्त (एआर), सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेसटेट)

(xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

(xvi) मूल्यांकन महानिदेशालय

(xvii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क निदेशालय

(xviii) माल और सेवा कर महानिदेशालय

(2) समूह -ख और समूह -ग की श्रेणी में सभी आमेलित किए गए निदेशालयों के पदों की अंतर-सह-वरिष्ठता इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत होगी।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर: उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि: भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक ग्रेड -1 (निदेशालय)	168 (2021) * कार्यभार भिन्नता के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स 35400रु. - 112400 रु.) में स्तर-6	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय।) टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं या समतुल्य उत्तीर्ण (II)कौशल परीक्षण मानक (क) निदेश: प्रति मिनट 100 शब्द -10 मिनट (ख) लिप्यांतरण : कंप्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेजी) या 55 मिनट (हिन्दी) टिप्पण: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में रिकॉर्ड करने के कारणों के लिए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i) पचहत्तर % सीधी भर्ती द्वारा (ii) पच्चीस % प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ अमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स(25500-81100) के स्तर 4 में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड II जिसने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने वाली) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-</p> <p>(1) अपर महा निदेशक -अध्यक्ष ;</p> <p>(2) अपर निदेशक -सदस्य;</p> <p>(3)संयुक्त निदेशक -सदस्य</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं.ए-12018/7/2016-प्रशा.III.ख]

मोहम्मद आशिफ, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2021

G.S.R. 552 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of the Inspection (Customs and Central Excise) and its Cadre Units in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004, the Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules, 2004, the Directorate of Revenue Intelligence and the Directorate of Central Excise Intelligence, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules 2004, the Directorate of Publications (Customs and Central Excise) (Group 'C' and Group 'D' posts) RRs, 1988, the Directorate of Data Management, Ministry of Finance (Department of Revenue), Group 'C' and Group 'D' posts Recruitment Rules 2004 and the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2004 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II for all Directorates except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I (Group 'B', Non Gazetted, Ministerial Posts) in the Directorates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Board of Indirect Taxes and Customs Directorates Stenographer Grade-I (Group 'B', Non Gazetted, Ministerial Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Special Provision. - (1) Directorate General of Performance Management, Customs and Central Excise, Delhi will be the Cadre Controlling Authority for all Group-B and C posts (Gazetted and Non Gazetted) for the following Directorates as approved by the Board, namely: -

- (i) Directorate General of Performance Management
- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence
- (iv) Directorate General of Logistics
- (v) Directorate General of Tax Payer Services
- (vi) Directorate General of Systems & Data Management
- (vii) Central Revenue Control Laboratory
- (viii) Directorate General of Vigilance
- (ix) Directorate General of Safeguards
- (x) Directorate General of Export Promotion
- (xi) Directorate General of Audit
- (xii) Directorate General of Legal Affairs
- (xiii) Directorate General Human Resource Development
- (xiv) Chief Commissioner (AR), Customs, Central Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management
- (xvi) Directorate General of Valuation
- (xvii) Directorate of International Customs
- (xviii) Directorate General of Goods and Service Tax

(2) Inter-se-seniority of all merged Directorates posts in the grade of Group-B and C shall be integrated as per the instructions / guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

3. Number of posts, classification, level in pay matrix. — The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification. — No person, —

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade – I (Directorates).	168* (2021) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'B' (Non-Gazetted, Ministerial).	Level – 6 in the Pay Matrix (35400-112400).	Selection.	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions and orders issued by the Central Government). Note. - The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(I)12 th or equivalent pass from a recognized Board or Institution. (II)Skill test norms (A)Dictation:10 minutes @100 words per minute and (B)Transcription: 40 minutes (English) or 55 minutes (Hindi) only on Computer. Note. - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the Competent Authority, for reason to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	No.	Two Years for direct recruits and promotees.	(i) 75 % by direct recruitment; (ii) 25% by promotion.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-II in Level-4 in the Pay Matrix (25500-81100) with ten years regular service in the grade. Note. - Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation and promotion) consisting of: - 1. Additional Director General – Chairman; 2. Additional Director – Member; 3. Joint Director – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[F.No.A-12018/7/2016-Ad.III.B]

MOHAMMAD ASHIF, Under Secy.